रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21102024-258092
SG-DL-E-21102024-258092

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2024/ आश्विन 24, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 225

No. 262] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ ASVINA 24, 1946 [N. C. T. D. No. 225

भाग IV
PART IV

लोकायुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर 2023,

फा0 सं0 1(39)/एमटीएस (भर्ती नियम)/लोका0/2022/—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0 फा0 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा कार्यालय लोकायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में '**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)**' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**—(i) इन नियमों को **मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)** कार्यालय लोकायुक्त भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रका" ान की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स मे स्तरः**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि**:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

भार्त यह है कि यदि सरकार संतुश्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करतेहुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :—इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एमटीएस पद हेतुभर्तीनियम

अनुसूची की कॉलम सं0			प्रस्तावित भर्ती नियम
1.	**पदनाम**	:	**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)**
2.	**पदों की संख्या**	:	07* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—1 (रुपये 18000—56900/—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18—25 वर्श* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदे" ाों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्श तक शिथिलनीय।) **टीप** :—आयु—सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *(यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18—27 वर्श के बीच होगी।)
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण।

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	02 वर्श
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) की संरचना :** 1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) –**अध्यक्ष** 2. पंजीयक (लोका0) –सदस्य 3. उप–सचिव (सेवाएं) –**सदस्य** **टीप**:– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिश्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिश्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विकास कुमार गुप्ता, उप–सचिव/कार्यालयाध्यक्ष

OFFICE OF THE LOKAYUKTA

NOTIFICATION

Delhi, 7th November, 2023

F. No. 1(39)/MTS (RR)/LOK/2022—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of **Multi-Tasking Staff (MTS)** in the office of the Lokayukta, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the **Multi-Tasking Staff (MTS)**in the office of the Lokayukta Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Number of posts, classification and level of pay in the pay matrix. The number of the said post, its classification and the level of pay in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limits, qualifications, etc. The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MTS

COLUMN NO. OF THE SCHEDULE	**RECRUITMENT RULES**
1. Name of the Post	Multi-Tasking Staff (MTS)
2. Number of Post	07 *(2023) *Subject to variation dependent on work-load.
3. Classification	General Central Service Group ‘C’ Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. Pay Level in the Pay Matrix	Level-1 (Rs. 18000-56900) of the Pay Matrix
5. Whether Selection or Non-Selection Post	Not applicable
6. Age Limit for Direct Recruits	Between 18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority) *(In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.)
7. Educational & other qualifications required for direct recruits	Matriculation or its equivalent pass from recognized Board/Institution.
8. Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.Period of Probation, If any	Two years
10. Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By Direct recruitment
11. In case of recruitment By Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not Applicable
12. If a DPC, exists what is its Composition	Composition of Group “C” Departmental Confirmation Committees (for considering confirmation): 1. Pr.Secretary / Secretary (Labour) – Chairman

	2. Registrar (Lok) – Member 3. Dy. Secretary (Services) – Member Note : Senior most member of the department confirmation committee for considering confirmation shall act as chairperson in case the notified chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the committee.
13. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi
VIKAS KUMAR GUPGA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA